पत्रांक–15/एम 1–14/18 –338

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

खालिद मिर्जा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलपति
कुलसचिव
राज्य के सभी विश्वविद्यालय

पटना, दिनांक : 01/3/18

विषय : माननीय उच्च न्यायालय में दायर समादेश संख्या 17619/2016 कृष्णकांत सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवांत लाभ एवं अन्य बकायादि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 12.02.2018 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आहूत बैठक में हुये विचार–विमर्श का स्मरण किया जाए। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से संबंधित जो वाद माननीय न्यायालय में लंबित हैं वे मुख्यतः सेवान्त लाभ के बकाया भुगतान या बकाया वेतनादि भुगतान, ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0/प्रोन्नति से संबंधित हैं। कुछ वाद ऐसे हैं, जो न्यायादेश के ससमय अनुपालन नहीं होने से उद्भूत अवमाननावाद हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का आदेश है कि विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी मामलों का प्रशासनिक स्तर पर सभी पदाधिकारियों एवं विश्वविद्यालयों के कुलपति/कुल सचिव के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाए, ताकि समस्या का एक साथ समाधान संभव हो सके।

बैठक में विचार–विमर्श के क्रम में यह प्रतीत हुआ कि विश्वविद्यालयों द्वारा बकाया सेवांत लाभ अन्तर्गत प्रतिवेदित राशि का पुनः समीक्षा कर भेजने की आवश्यकता है। इस संबंध में बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आकलित राशि की गणना कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना सुनिशिचित हुआ। साथ ही इस आशय का निम्न मद में शपथ–पत्र के साथ प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा देगें की इसके बाद विश्वविद्यालय के संबंधित कर्मी का कोई बकाया नहीं है । बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निदेशानुसार निम्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक 12.03.18 तक उपलब्ध कराना सुनिशिचित किया जाय :–

1. वर्ष 2016–2017 (28.02.2017) तक सेवांत लाभ में बकायादि (विहित प्रपत्र I,II & III)

2. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में सेवांत लाभ अन्तर्गत सेवांत लाभ के भुगतान/बकायादि की अद्यतन स्थिति (विहित प्रपत्र IV,V & VI)।

3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 तक ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0/प्रोन्नति/से उद्भूत अथवा न्यायालीय आदेश/अन्य किसी कारण से लंबित (एस0बी0 सिन्हा कमीशन को छोड़कर) वेतनादि में बकाया राशि (विहित प्रपत्र VII & VIII)।

विश्वासभाजन

(खालिद मिर्जा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

D/Gautam/Ajit Sir/Letter 2018

Format VII			
'Name of University - 'Teaching			
Sl. No.	Name of Employee	Financial Year	Arrear (Particulars)

Format VIII			
Name of University - Non Teaching			
Sl. No.	Name of Employee	Financial Year	Arrear (Particulars)